क/प्रतिवादी संख्या 7 ने सहमति से विभाजन करवाया था, जिसके फलस्वरूप आवेदक खाता प्रथक हुआ था। उपरोक्त परिपेक्ष्य में न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि आवेदक को उक्त प्रकरण के बाबत् सम्पूर्ण कार्यवाहियों की जानकारी पूर्व से ही थी तथा प्रस्तुत प्रकरण तथ्यों को छिपाकर पेश किया गया है। आवेदक प्रथम दृष्टया प्रकरण साबित करने में असफल रहा। उक्त विवेचन से आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 व 151 सीपीसी खारिज किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

आवेदक जगदीश प्रसाद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 आदेश 9 नियम 13 व 151 सीपीसी का साबित नही होने से खारिज किया जाता है।

6.9.21
(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 06.09.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6.9.21
(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2022.06.23 12:41:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner